दिनांक 15.07.2016 को कृषि विभाग के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

1. वर्षापात/आच्छादन/डीजल अनुदान :–

1.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा एवं कटिहार में जून, 2016 से 15, जूलाई 2016 तक वर्षापात की स्थिति सामान्य से कम है। निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी प्रतिदिन प्रखंडवार वर्षापात प्रतिवेदन प्रतिवेदित करें तथा खरीफ मौसम में एक जून से वर्षापात का संकलन किया जाय। यदि वर्षामापक यंत्र कहीं खराब हो तो अविलम्ब जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से सम्पर्क कर नया वर्षामापक यंत्र लगवायें।

धान बिचड़ा का आच्छादन लखीसराय, बेगुसराय एवं वैशाली में लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम पाया गया। निदेश दिया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से पंचायतवार आकलन कराकर प्रखंडवार सही प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा सूचित किया गया कि उनके जिला में कृषक धान के स्थान पर सोयाबीन फसल लगा रहे है। इस कारण धान बिचड़ा का आच्छादन लक्ष्य से कम हुआ है।

1.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राकृतिक आपदा/बाढ़/सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक फसल योजना तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। सूचित किया गया कि आकस्मिक फसल योजना हेतु कृषि निदेशालय स्तर से बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है। बीज की आवश्यकता के अनुसार जिलों को बीज उपलब्ध करायी जाएगी। आकस्मिक फसल योजना में यदि परिवर्तन हो तो अविलम्ब मुख्यालय को सूचित किया जाय।

1.3 सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु डीजल अनुदान का स्वीकृत्यादेश निर्गत हो गया है। इस वर्ष खरीफ एवं रब्बी दोनों मौसम का एक साथ स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है। आवंटन आदेश भी निर्गत किया जा रहा है। खरीफ में जो राशि उपयोग नहीं हो सकेगा वह राशि रब्बी में व्यय किया जा सकता है।

1.4 निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित डीजल अनुदान कार्यक्रम का मौसमवार, प्रखण्डवार व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिन जिलों से अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है वे अविलम्ब उपलब्ध करा दें। **जिन जिलों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के खाता में अनुदान की राशि हस्तान्तरण करने में समस्या आ रही है वहॉ के जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित बैंकों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि अनुदान की राशि कृषकों के खाता में अविलम्ब चला जाय।**

(अनु0– कंडिका 1.1 से 1.4–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.5 **आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराई गई अनुदान की राशि के संबंध में अलग से समीक्षा करने हेतु सभी योजना के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।**

(अनु0– सभी योजना के नोडल पदाधिकारी)

2. बीज

2.1 सूचित किया गया कि हरी चादर योजना अंतर्गत गरमा 2016 में वितरित मूंग एवं ढ़ैंचा बीज से लाभान्वितों की कृषकों की संख्या भागलपुर से अप्राप्त है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना, बक्सर, दरभंगा, लखीसराय एवं शेखपुरा में मूंग बीज का पूर्ण मात्रा का वितरण नहीं किया गया है तथा पटना, बक्सर, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा एवं दरभंगा में ढ़ैचा बीज का वितरण लक्ष्य से कम किया गया है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों में ढ़ैचा एवं मूंग बीज का वितरण लक्ष्य से कम हुआ है वहॉ के जिला कृषि पदाधिकारी कम वितरण का कारण स्पष्ट करते हुए निदेशालय को अविलम्ब सूचित करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित बीज विक्रेता मे0 राजा राम ट्रेडर्स द्वारा ढ़ैचा एवं मूंग का बीज वितरण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना, खरीफ 2016 अंतर्गत धान बीज की उपलब्धता/वितरण नालन्दा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सिवान, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं वैशाली में बहुत कम हुई है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब बीज वितरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2.3 एकीकृत बीज ग्राम योजना अंतर्गत धान की उपलब्धि संबंधी प्रतिवेदन रोहतास, कैमूर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद एवं पूर्वी चम्पारण से तथा मडुआ बीज का वितरण संबंधी प्रतिवेदन नालन्दा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब बीज वितरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2.4 खरीफ 2016 में मिनीकीट बीज वितरण संबंधी प्रतिवेदन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, नालन्दा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका एवं शेखपुरा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब बीज वितरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें बी0आर0बी0एन0 से बीज प्राप्त नहीं हुआ है।

2.5 सूचित किया गया कि एच0आई0एल0 कंपनी के पास उरद का पी0यू0–31 प्रभेद का 140 क्विं0 बीज उपलब्ध है। जिन जिलों को प्रत्यक्षण हेतु उरद बीज की आवश्यकता है वे कंपनी से सम्पर्क कर बीज का उठाव कर लें।

2.6 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम खरीफ 2015 का निकासी एवं व्यय संबंधित प्रतिवेदन अभी तक अरवल एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2.7 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं अनुदानित दर पर प्रमाणित गेहूँ बीज वितरण, रब्बी 2015–16 का निकासी एवं व्यय प्रतिवेदन अभी तक कैमूर, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा एवं पूर्णिया से अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि योजनावार राशि की निकासी यदि नहीं हुई है तो निकासी नहीं होने के कारण के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2.8 डी0बी0टी0 के माध्यम से वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित बीज वितरण योजना में वितरित बीज की मात्रा एवं लाभान्वित किसानों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन की मांग कृषि निदेशालय के पत्रांक 2542 दिनांक 10.06.2016 द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से की गयी थी। अभी तक मात्र

कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, एवं पूर्वी चम्पारण से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0—कंडिका 2.1 से 2.8—संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3. <u>कृषि यांत्रिकीकरण :–</u>

3.1 राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्ष 2016–17 के लिए 175.00 करोड़ रूपये की कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त हो गयी है, स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की प्रक्रिया में है। कृषको से ऑन लाईन आवेदन प्राप्ति के लिए Software open करने हेतु NIC को पत्र दिया गया है।

3.2 वर्ष 2015–16 में कृषि यांत्रिकरण (राज्य योजना) अन्तर्गत जिलावार CTMIS एवं MIS प्रतिवेदन में लगभग 13.00 करोड़ रूपये का अंतर है जिसके कारण राज्य स्तर पर वास्तविक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिलावार, यंत्रवार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 25.07.2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0—कंडिका 3.1 एवं 3.2— संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.3 **वर्ष 2015–16 में कृषि यांत्रिकरण (राज्य योजना) अन्तर्गत जिलावार CTMIS एवं MIS प्रतिवेदन के अनुसार जिलों में 13.00 करोड़ रू0 अभी भी अवशेष है। इस राशि का क्या करना है इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश देने हेतु कार्रवाई करने के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण को निदेश दिया गया।**

(अनु0—राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण)

3.4 Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु राशि सभी जिलों को मार्च 2016 में बामेति द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया गया है परंतु भौतिक प्रगति प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आज की बैठक में सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेश दिया गया कि अपने प्रमंडल अन्तर्गत संबंधित जिला का भौतिक प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2016 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(अनु0—संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, शष्य)

4. <u>स्वॉयल हेल्थ कार्ड :–</u>

4.1 **समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिट्टी** नमूना का ऑनलाईन संकलन की स्थिति अरवल, बक्सर, किशनगंज, भोजपुर, शेखपुरा, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर एवं जमुई में दयनीय है। प्रयोगशाला में प्राप्त नमूना की स्थिति बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, ज़मुई, बांका, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, किशनगंज, लखीसराय एवं शेखपुरा में दयनीय पायी गयी। निदेश दिया गया कि 20 जुलाई, 2016 तक खरीफ हेतु निर्धारित मिट्टी नमूना के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाय।

4.2 निदेश दिया गया कि मिट्टी नमूना संकलन के समय ग्रीड में जितने भी किसान आ रहे है उन सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाय ताकि सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा सके।

4.3 सूचित किया गया कि पिछले वर्ष लिये गये मिट्टी नमूने अभी भी प्रखण्डों में पड़े हुए हैं। उन्हें मिट्टी जॉच प्रयोगशाला में अविलम्ब उपलब्ध करा दें एवं उसका शीघ्र विश्लेषण कराने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि जॉच किये गये मिट्टी नमूना का जॉच प्रतिवेदन एवं मृदा स्वास्थ्य

कार्ड प्रिंट कराकर खरीफ अभियान में आयोजित हो रहे कैम्प/मेला में कृषकों के बीच वितरित करना सुनिश्चित किया जाय।

4.4 मिट्टी नमूना जॉच हेतु जिला में अवस्थित किसान विज्ञान केन्द्र एवं अन्य मिट्टी जॉच प्रयोगशाला का सहयोग प्राप्त किया जाय। निदेश दिया गया कि इसका प्रचार–प्रसार किसानों के बीच किया जाय।

4.5 निदेश दिया गया कि मिट्टी नमूना जॉच से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन का प्रेषण किया जाय एवं भारत सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट एम0आई0एस0 पोर्टल पर वर्ष 2016–17 का ऑकड़ा अपलोड किया जाय।

(अनुपालन– 4.1 से 4.5 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5. <u>ई–किसान भवन</u> :–

5.1 सूचित किया गया कि राज्य के 534 प्रखंडों में ई–किसान भवन निर्माण की योजना स्वीकृत है। इसमें से 310 ई–किसान भवन पूर्ण हो गया है, 164 ई–किसान भवन निर्माणाधीन है एवं 60 प्रखंडों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि पूर्ण हो चुके ई–किसान भवन में बिजली, पानी, उपस्कर एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, ई–किसान भवन)

5.2 ई–किसान भवन के निर्माण के संबंध में CAG का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2012–13 में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण के लिये जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बाँका, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सीतामढ़ी एवं शेखपुरा, से इस कार्यालय के पत्रांक 686 दिनांक 04.12.2015 के द्वारा आपत्तियों का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि आठ दिनों के अन्दर CAG के अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण कर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5.3 समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनेकों निदेशों के बावजूद भी भोजपुर, नवादा, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, अररिया, कटिहार, बांका एवं जमुई द्वारा ई–किसान भवन की गुणवत्ता की जॉच हेतु जाँच दल का गठन नहीं किया गया है ना ही जाँच दल गठन से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध करायी गयी है। **प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इन सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को एक स्मार–पत्र भेजा जाय।**

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, ई–किसान भवन)

6. <u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</u> :–

6.1 सूचित किया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2016–17 का प्रगति प्रतिवेदन जहनाबाद, सारण, सिवान, सुपौल, अररिया, लखीसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं किशनगंज से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि घटकवार प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6.2 सूचित किया गया कि रा0कृ0वि0यो0 वर्ष 2016–17 अंतर्गत श्रीविधि से धान की खेती में 42 प्रतिशत, पैडी ट्रान्सप्लान्टर से धान प्रत्यक्षण में 29 प्रतिशत, सुगंधित धान का प्रत्यक्षण में 41